सारण समाहरणालय, छपरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

बाढ़ नियंत्रण जिला आदेश–2017

सारण जिला की कुल आबादी औपबंधिक जनगणना 2011 के अनुसार 3943098 है, जिसमे 2023462 पुरूष एवं 1919622 महिलायें है। इस जिला में 03 अनुमंडल एवं 20 अंचल –सह– प्रखंड निम्ववत हैं। जिलान्तर्गत कुल–03 अनुमंडल एवं 20 प्रखंड–सह–अंचल क्षेत्र के अधीन कुल ग्राम पंचायतों की संख्या–323, जो 151 हल्कों में विभक्त है तथा नगर परिषद–01, वार्डो की संख्या–44, नगर पंचायतों की संख्या–04, जिसमें वार्डो की संख्या–76 एवं कुल गॉवों की संख्या 1813 है एवं कुल कृषि योग्य भूमि 138382.64 हेक्टेयर है, जिसमें 67782 हेक्टेयर सिंचित एवं 70600 हेक्टेयर असिंचित भूमि है। इस जिला में मुख्यतः धान, मक्का, गेहूँ, दलहन, तेलहन एवं सब्जियों की खेती की जाती है।

क्र0 सं0	अनुमंडल का नाम	संबंधित प्रखंड –सह– अंचल	बाढ़ से पूर्ण/आंशिक रूप से प्रभावित होने वाले प्रखंड
1	2	3	4
1	सदर, छपरा	सदर, माँझी, रिविलगंज, एकमा, गड़खा, परसा, मकेर, बनियापुर, लहलादपुर, जलालपुर एवं नगरा	सदर, माँझी, जलालपुर, रिविलगंज, गड़खा, परसा एवं मकेर
2	मढ़ौरा	मशरक, पानापुर, तरैया मढ़ौरा अमनौर एवं इसुआपुर	सभी प्रखंड
3	सोनपुर	सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर	सभी प्रखंड

यह जिला तीन तरफ से गंडक, गंगा एवं घाघरा जैसी बड़ी नदियों से घिरा है। वर्षात में इन नदियों के जलस्तर में वृद्धि एवं छोटी–छोटी नदियों यथा सोंधी, माही, गंडकी, डाबरा एवं गोहरा नदियों में जल प्लावन के परिणामस्वरूप प्रायः बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फलतः मवेशियों, फसलों एवं जन जीवन की क्षति होती है। वर्ष 2001एवं 2002 में अत्याधिक पानी के दबाव के चलते सारण तटबंध टुटने के फलस्वरूप बाढ़ से सुरक्षित समक्षे जाने वाले क्षेत्र को भी बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा था। वर्ष 2003 में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के फलस्वरूप इस जिला के 08 प्रखंड प्रभावित हुए थे। वर्ष 2008 में अत्याधिक वर्षा, नदियों के जलस्तर में वृद्धि के फलस्वरूप इस जिला के 07 प्रखंड आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित हुए थे। इसी प्रकार वर्ष 2011 में गंगा,सोन एवं सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि के फलस्वरूप इस जिला के 6 प्रखंड बाढ़ प्रभावित हुए तथा वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश, में आई बाढ़ एवं गंगा एवं सोन नदियों के जल स्तर में हुई वृद्धि से इस जिला के 8 प्रखंड बाढ़ प्रभावित हुए थे। इसी प्रकार वर्ष 2016 में इन्द्रपुरी बाराज से सोन नदी में 12लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण गंगा एवं अन्य सहायक नदियों के जलस्तर में अत्याधिक वृद्धि के कारण जिला के 6 अंचल बाढ़ प्रभावित हुए। 2001, 2002, 2003, 2008, 2011, 2013 एवं 2016 में बाढ़ से प्रभावित पंचायतों, गॉवों, आबादी एवं प्रभावित क्षेत्रों का विवरण निम्नवत है :–

वर्ष	बाढ़ का कारण	प्रभावित प्रखण्ड का नाम	प्रभावित पंचायतों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित क्षेत्रफल
2001	अत्याधिक पानी के दबाव के कारण सारण तटबंध का टुट जाना	मशरक, पानापुर, तरैया, इशुआपुर, परसा, मकेर, दरियापुर, बनियापुर, लहलादपुर एवं रिविलगंज	157	671	10,33,221	1,07,621हे0
2002	अत्याधिक पानी के दबाव के कारण सारण तटबंध का टुट जाना	मढ़ौरा, मशरक, पानापुर, तरैया, इशुआपुर एवं अमनौर	73	305	4,93,608	63,870हे0
2003	गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि	सदर छपरा, रिविलगंज, मांझी, दिघवारा, दरियापुर, सोनपुर, जलालपुर एवं गड़खा	100	428	6,49,528	61,990हे0
2008	अत्याधिक वर्षा एवं नदियों के जल स्तर में वृद्धि	सोनपुर, दरियापुर, दिघवारा, सदर छपरा, रिविलगंज, मांझी एवं गड़खा	45	113	49,320	17,445हे0

2011	सोन,गंगा एवं सरयू नदियों के जल स्तर में अत्यधिक वृद्धि के कारण	सदर छपरा, रिविलगंज, गड़खा, दिघवारा, दरियापुर एवं सोनपुर	51	151	139000	18,000हे0
2013	सोन,गंगा एवं सरयू नदियों के जल स्तर में अत्यधिक वृद्धि के कारण	सदर छपरा, मांझी , जलालपुर रविलगंज, गड़खा, दिघवारा, दरियापुर एवं सोनपुर	65	238	469405	90,500हे0
2016	इन्द्रपुरी बाराज से सोन नदी में 12लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण गंगा एवं अन्य सहायक नदियों के जलस्तर में अत्याधिक वृद्धि के कारण	सदर, गरखा, रिविलगंज, दिघवारा, दरियापुर एवं सोनपुर	85	405	836000	51000 हे0

जबकि 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2012, 2014 एवं 2015 में यह जिला सौभाग्य से बाढ़ प्रभावित नहीं हुआ। 2009 एवं 2010 में यह जिला सुखाड़ प्रभावित घोषित किया गया था।

यद्यपि सारण जिला प्रत्येक वर्ष बाढ़ प्रभावित नही होता है परन्तु विभागीय निदेश के आलोक में जिलान्तर्गत सम्भावित बाढ़ के लिए सभी आवश्यक तैयारियों पूर्ण करने हेतु निम्नवत कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

1. <u>(क) तटबंधों की सुरक्षा-</u> बाढ़ से बचाव हेतु जिलान्तर्गत सभी नदियों पर बने तटबंधों का सुरक्षित होना परम आवश्यक है। इसके लिए कार्यपालक अभियंता सारण प्रमंडल (बाढ़ नियंत्रण) छपरा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अभियंता के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मढ़ौरा एवं सोनपुर, संबंधित अनुमंडल क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंधों का अविलम्ब संयुक्त निरीक्षण कर आक्राम्य स्थलों की पहचान कर समुचित कार्रवाई करते हुए मंतव्य सहित प्रतिवेदन दिनांक-08.05.2017 तक समर्पित करेगें।

कार्यपालक अभियंता, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा कटाव निरोधक समिति, द्वारा की गयी अनुसंशा तथा जल संसाधन विभाग, द्वारा इस वर्ष हेतु स्वीकृत बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। चिह्नित आक्राम्भ स्थलो पर खाली सिमेंट के बोरे, लोहे का जाल, बालू, बोल्डर, नाईलोन क्रेट आदि की पर्याप्त व्यवस्था पूर्व से ही की जानी अपेक्षित है, ताकि बाढ़/कटाव निरोधी कार्य को आवश्यकतानुसार ससमय पूर्ण कर तटबंधों को सुरक्षित रखा जा सके। कार्यपालक अभियंता दिनांक-08.05.2017 तक सभी आवश्यक/वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। साथ ही उनके द्वारा तटबंधों की सुरक्षा हेतु **पेट्रोलिंग के लिए सहायक अभियंता/कनिय अभियंताओं एवं कर्मियों का टीम का गठन कर लिया जाय तथा इस हेतु गृह रक्षको की प्रतिनियुक्ति के लिए जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी छपरा तथा चौकिदारों के अंचल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समुचित कार्रवाई कर ली जाय। कार्यपालक अभियंता, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा उक्त प्रतिवेदनों के अतिरिक्त सभी तटबंधो का नक्शा ट्रेसिंग पेपर एवं ए4 पेपर पर** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

<u>(ख)स्लुईस गेटो की मरम्मति :-</u> कार्यपालक अभियंता, सिचाई (यांत्रिक)प्रमंडल, छपरा द्वारा दिनांक-20.5.2016 के पूर्व सारण जिलान्तर्गत सभी तटबंधो पर बने स्लुईस गेटो का निरीक्षण कर अकार्यरत फाटको की मरम्मत कराना तथा निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

तटबंध का नाम	स्लुईस गेट का नाम एवं आकार	नदी का नाम जिस से संबद्ध तटबंध पर उक्त स्लुईस गेट निर्मित है।	संबंधित प्रखंड एवं पंचायत का नाम	स्लुईस गेट की अद्यतन स्थिति।
1	2	3	4	5

1. <u>(ग) नहर बांधो की सुरक्षाः-</u> कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल छपरा/एकमा/मढ़ौरा/महराजगंज एवं दरौंदा शिविर छपरा द्वारा अधिनस्थ नहर बांधों का अविलंब निरीक्षण कर कमजोर, टुटे एवं दरारयुक्त नहर बांधों की मरम्मति एवं पेट्रोलिंग के लिए समुचित कार्रवाई करते हुए **दिनांक-08.05.2017 तक प्रतिवेदन तथा नहर बांधो से संबंधित नक्शा ट्रेसिंग पेपर एवं ए4 पेपर पर तैयार करा कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।**
2. <u>जलस्तर सूचक यंत्र/वर्षामापक यंत्रः-</u> जलग्रहण क्षेत्रों में अति वृष्टि तथा नेपाल की नदियों में दैनिक जल ग्रहण के आधार पर जलस्तर/बाढ़ का पूर्वानुमान लगाये जाने के लिए सभी जलस्तर सूचक यंत्रों का

बाढ़ की आने पर अविलंब प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत किया जा सके। निजी नावों/नाविकों की सूची एवं एकरारनामा से संबंधित प्रतिवेदन सभी अंचल अधिकारी, दिनांक–08.05.2017 तक निम्न प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उपलब्ध सरकारी नावों एवं मोटर बोट की आवश्यकतानुसार मरम्मत कराना सुनिश्चित करेंगे।

अंचल का नाम	पंचायत का नाम	क्रमांक	नाव मालिक का नाम एवं पता	नाव का आकार	नाव के परिचालन हेतु चिन्हित स्थल
1	2	3	4	5	6

7. बाढ़ प्रभावित व्यक्ति/समूहों की पहचानः– सभी अंचल अधिकारियों द्वारा विगत वर्षो में आई बाढ़ के अनुभव के आधार पर बाढ़ प्रवण क्षेत्रो में पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के सहयोग से बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले संभावित गाँव/टोलो/नगर वार्डो की पहचान पूर्व से कर ली जाय तथा प्रभावित हाने वाले परिवारों का नजरी नक्शा तैयार कर लिया जाय। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति निराश्रितों, निःशक्त, बिमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, धातृ माताओं, सहित प्रभावित व्यक्तियों/समूहो की पहचान कर सूची तैयार कर ली जायेगी।
8. जेनरेटर सेट/पेट्रोमेक्स/महाजाल की व्यवस्थाः– सभी अंचल अधिकारी, जेनरेटर सेट, पेट्रोमेक्स, टेन्ट, खाली सिमेंट के बोरियों तथा महाजाल आदि की आवश्यकतानुसार पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इनके निजी आपूर्ति कर्त्ताओं की सूची बनाकर भाड़ा का निर्धारण हेतु प्रस्ताव एवं आवश्यकता के संदर्भ में प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
9. मानव दवाओं की व्यवस्था/मेडिकल टीम का गठनः– बाढ़ आने की दशा में विभिन्न जलजनित बिमारियों के प्रकोप की संभावना के मद्देनजर असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण जिला अस्पताल/अनुमंडल/रेफरल अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सर्पदंश की दवाओं, एंटि–रेबिज बैक्सिन, क्लोरिन टैबलेट, हैलोजन टैबलेट, ओ0आर0एस0, ब्लिचिंग पाउडर एवं अन्य आवश्यक मानव दवाओं की उपलब्धता एवं पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 02–03 शरणस्थलियों से संबद्ध कर मेडिकल टीम का गठन करते हुए दवाओं की उपलब्धता/भंडारण तथा मेडिकाल टीम में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों/कर्मियों की डायरेक्ट्री दिनांक–20.05.2016 तक निम्न प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमांक	अंचल का नाम	पंचायत का नाम	स्वास्थ्य शिविर का स्थल	प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं0	प्रतिनियुक्त कर्मचारी का नाम एवं मोबाईल नं0
1	2	3	4	5	6

10. पशुदवा/पशुचारा की व्यवस्थाः– वर्षात के दौरान/बाढ़ के समय पशु विभिन्न बिमारियों के शिकार होते है। अतः जिला पशु पालन पदाधिकारी, सारण छपरा शरणस्थलियों से संबद्ध कर पशु शिविरों की व्यवस्था तथा पशु चिकित्सालयों/पशु शिविरों में पशु दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही दिनांक–20.05.2016 तक पशु दवाओं की उपलब्धता, पशुचारा की आवश्यकता के आकलन से संबंधित प्रतिवेदन एवं चिकित्सको/कर्मियो की प्रतिनियुक्ति संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमांक	अंचल का नाम	पंचायत का नाम	पशु शिविर का स्थल	प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सक का नाम एवं मोबाईल नं0	प्रतिनियुक्त कर्मचारी का नाम एवं मोबाईल नं0
1	2	3	4	5	6

11. खाद्यान्न की उपलब्धताः– जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम छपरा, जिला स्थित सभी निगम के गोदामों में भंडारित खाद्यान्न की अद्यतन स्थित प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण छपरा बाढ़ प्रवण प्रखंडों में आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न भंडारण हेतु पंचायत/प्रखंड स्तर पर सरकारी/निजी गोदामों की पहचान कर बाढ़ की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिए स्थापित सहायय केन्द्रों पर खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए **Communication Plan** निम्न प्रपत्र में दिनांक–08.05.2017 तक समर्पित करेंगे।

क्रमांक	अंचल का नाम	पंचायत का नाम	बाढ़ राहत वितरण शिविर का नाम	अंचल मुख्यालय से दुरी	परिवहन मार्ग
1	2	3	4	5	6

सही स्थिति में होना आवश्यक है। कार्यपालक अभियंता, केन्द्रिय जल आयोग साधनापुरी छपरा, सभी जलस्तर यंत्रों की जॉच कर यंत्रों की सही स्थिति में होना सुनिश्चित करेगें, तथा 1ली जून से जलस्तर संबंधित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

इसी प्रकार जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण छपरा जिलान्तर्गत **अधिष्ठापित सभी वर्षामापक यंत्रों की जांचकर यंत्रों की सही स्थिति में होना सुनिश्चित करेंगे तथा क्षतिग्रस्त एवं खराब यंत्रों की मरम्मति एवं नये यंत्रों का अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई करतें हुए दिनांक 20.05.2016 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।** वर्षामापक यंत्रों के रिडिंग हेतु प्रत्येक **प्रखंड में दो प्रशिक्षित कर्मियों का निर्धारण सम्बंधित अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर** करेगें ताकि वर्षापात के आंकड़ों का त्वरित प्रेषण हो सके।

3. पथ/पूल/पूलिया:- बाढ़ के समय प्रभावितों के बीच राहत बचाव कार्य चलाने एवं खाद्यान्न की आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो इसके लिए सड़को की ठीक स्थिति में होना आवश्यक है। **कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा/ग्रामिण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा अधिनस्थ सभी पथों का संयुक्त निरीक्षण कर निरीक्षण में पाये जाने वाले टूटे, क्षतिग्रस्त एवं कमजोर पथों की मरम्मत हेतु अपनी कार्य योजना दिनांक-08.05.2017 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें** तथा गत वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथो से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क0	अंचल का नाम	पथ का नाम	योजना का नाम जिससे उक्त पथ का निर्माण हुआ है।	उक्त पथ में क्षतिग्रस्त स्थल की स्थिति (कि0मी0)में	क्षतिग्रस्त पथ की लम्बाई एवं चौड़ाई	क्षतिग्रस्त पथ की मरम्मत हेतु अनुमानित लागत
1	2	3	4	5	6	7

4. पेयजल व्यवस्था:- बाढ़ के समय प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल छपरा आपदा प्रबंधन विभागीय निदेश पत्रांक-1456/आ0प्र0 दिनांक-17.04.2013 (छायाप्रति संलग्न) से प्राप्त **निदेशानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद छपरा, चपाकलो की साधारण मरम्मत कराना तथा चयनित शरणस्थलियों पर अस्थायी चपाकलों के निर्माण/नये चपाकलों के गाड़ने एवं विशेष मरम्मत हेतु सभी संसाधनों की ससमय समुचित व्यवस्था करेंगें। कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल छपरा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद छपरा दिनांक-08.05.2017** तक अपनी कार्ययोजना समर्पित करेगें।

5. शरणस्थली:- बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थल पर पहुँचाने के उद्देश्य से जनसंख्या निष्क्रमण हेतु शरणस्थलियों का चयन महत्वपूर्ण है। **सभी अंचल अधिकारी, इस हेतु प्रखंड स्थित उच्चे स्थलों यथा- स्कूल भवन, पंचायत भवन सामुदायिक भवन, एवं अन्य उच्ची भूमि का चयन कर चिह्नित शरणस्थलों पर भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता संबंधित सत्यापन प्रतिवेदन तथा शरणस्थलियों पर पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर वांछित प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में दिनांक-08.05.2017 के पूर्व निश्चित रूप से कर लेंगे।** सत्यापनोंपरान्त चयनित शरणस्थलियों एवं प्रखंड में उपलब्ध सहाय्य उपकरण **कैम्पिंग-एरिया तथा प्रखंडवार हेली-पैड** की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रपत्र II में दिनांक-08.05.2017 तक अंचल अधिकारियों द्वारा निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

प्रपत्र-I

अंचल का नाम	जोनल पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	संबंधित पंचायत का नाम	सहाय्य केन्द्र का नाम एवं स्थल	चिन्हित शरणस्थली	प्रतिनियुक्त प्रभारी पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं मोबाईल नं0	प्रतिनियुक्त कर्मियो का नाम/पदनाम एवं मोबाईल नं0
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र-II

क0	अंचल का नाम	संबंधित पंचायत का नाम	हैली-पैड के लिए चिन्हित स्थल का नाम	आक्षांश	देशान्तर
1	2	3	4	5	6

6. नावों की व्यवस्था:- सभी अंचल अधिकारी, उनके अंचल में उपलब्ध निजी नावों के नाविकों/नाव मालिकों की सूची तैयार करेगें, तथा आवश्यकतानुसार नावों के परिचालन हेतु पूर्व में ही एकरारनामा की कार्रवाई, नाव परिचालन हेतु स्थलों की पहचान एवं नाव/नाविकों की पहचान कर सूची तैयार करेगें, ताकि

12. राहत सामग्रियों/पोलिथीन सिट्स/टेंट की व्यवस्थाः–प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, सारण छपरा द्वारा राहत–सामग्रियों यथा–चना, चुड़ा, गुड़ आदि की आवश्यकतानुसार आपूर्ति के लिए राहत सामग्रियों/पोलिथीन सिट्स/टेंट की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

13. बाढ़ की स्थिति में राहत वितरण/पंचायतों की भूमिकाः– प्राकृतिक आपदा की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यापक भूमिका/दायित्व हैं। प्राकृतिक आपदा/बाढ़ की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों के बीच राहत वितरण का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्य पंचायत स्तरीय राहत एवं निगरानी एवं अनुश्रवण समिति द्वारा की जायेंगी। वितरित राहत सामग्रियों की सूचना प्रखंड/पंचायत की सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी। इसके लिए समय–समय पर संबंधित अंचल अधिकारियों द्वारा प्रखंड/पंचायत निगरानी अनुश्रवण समिति की बैठक आहुत कर समीक्षा की जाय।

14. आकस्मिक फसल योजनाः– जिला कृषि पदाधिकारी, सारण छपरा द्वारा बाढ़ प्रवण प्रखंडों के लिए आकस्मिक फसल योजना/वैकल्पिक फसल योजना बनायी जायेगी, तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किसानों के बीच कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. संचार/सूचना व्यवस्थाः– जिलान्तर्गत आनेवाली नदियों में विभिन्न स्थलों पर जलस्तर की सूचना वर्षा ऋतु प्रारम्भ होते ही कार्यपालक अभियंता, सारण प्रमंडल छपरा द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही अंचल –सह– प्रखंडों में पदस्थापित क्षेत्रिय कर्मचारी, जनसेवक, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव के माध्यम से प्रखंड को एवं प्रखंडों से जिला को जिला की किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आने की सूचना तुरन्त प्रेषित करने हेतु व्यवस्था संबंधित अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुनिश्चित करेंगे। सभी अंचल अधिकारी, अंचल क्षेत्र कों जोन, सेक्टर एवं युनिट में विभक्त कर पर्यवेक्षकों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन तथा अंचल में उपलब्ध आपदा प्रबंधन कार्यो में प्रशिक्षित/इच्छुक स्वयं सेवकों की सूची दिनांक–08.05.2017 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमांक	अंचल का नाम	पंचायत का नाम	जोन का नाम तथा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं मोबाईल नं0	उक्त जोन से संबंधित युनिट का नाम एवं प्रतिनियुक्त कर्मी का नाम/पदनाम एवं मोबाईल नं0
1	2	3	4	5

16. प्रशासनिक व्यवस्थाः– बाढ़ की स्थिति में जिलास्तर पर वरीय उप समाहर्त्ता, प्रभारी आपदा प्रबंधन, सारण, अनुमंडल स्तर पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, एवं प्रखंड स्तर अंचल अधिकारी, द्वारा राहत एवं बचाव कार्य हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। अपर समाहर्त्ता, सारण पूरे जिले के सहायय कार्यो के वरीय प्रभार में रहेगें तथा प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, सारण छपरा उनके निदेशानुसार कार्य करेगें।

विभागीय निदेशानुसार बाढ़ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अविलंब राहत कार्यो का संचालन किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सभी प्रखंडों से संबद्ध/प्रतिनियुक्त वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा राहत कार्यो का संचालन एवं पर्यवेक्षण कार्य किया जायेगा।

सभी प्रतिनियुक्त वरीय प्रभारी पदाधिकारियों, द्वारा संबंधित अंचल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर बाढ़ की स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जायेगी, तथा बाढ़ की स्थिति में अंचल अधिकारियों द्वारा उनके पर्यवेक्षण में राहत कार्यो का संचालन किया जायेगा।

17. प्रतिवेदनः– 01 जून 2017 से नियमित रूप से विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र– I एवं IX में बाढ़ का दैनिक एवं सप्ताहिक प्रतिवेदन सभी अंचल अधिकारी/संबंधित पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण/प्रभारी पदाधिकारी, सारण/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण समन्वयन स्थापित कर 01ली जून से विभाग को वर्षापात/बाढ़ का दैनिक प्रतिवेदन ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

18. नियंत्रण कक्षः– अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा अनुमंडल स्तर पर तथा अंचल अधिकारियों द्वारा अंचल स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करते हुए उसमें पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर सुचना उपलब्ध करायी जायेगी। सदर अनुमंडल स्थित नियत्रंण कक्ष पूर्व वर्ष की भाँति जिला के नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्यरत रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर नियंत्रण कक्ष में स्थापित दुरभाष को सही स्थिति में रखते हुए दुरभाष संख्या उपलब्ध करायेगें। संभावित बाढ़ की घोषणा की स्थिति में स्थापना उप समाहर्त्ता, सारण छपरा द्वारा नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में पदाधिकारियों, अभियंताओं एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

19. सामान्यः- (क) बाढ़ की स्थिति में असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे बाढ़ सहाय्य कार्यों की समीक्षा प्रतिदिन करेंगे, तथा समीक्षात्मक टिप्पणी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगें।

(ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बांधों/तटबंधों को क्षतिग्रस्त किये जाने की संभावना रहती है। संबंधित थाना प्रभारी का यह दायित्व होगा की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे बांधों/तटबंधों पर भाड़ी वाहनों के आवगमण को निषेध रखेंगे। साथ ही सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, थाना प्रभारी, एवं अंचल अधिकारी, अपने-अपने क्षेत्र में मार्गो/तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(ग) पुलिस अधीक्षक सारण, छपरा सभी थाना प्रभारियों, को बाढ़ सुरक्षा एवं सहाय्य कार्यो में लगे पदाधिकारियों को अपेक्षित सहयोंग प्रदान करने हेतु निदेशित करेंगे।

(घ) कोई भी पदाधिकारी, बाढ़ अवधि में अधोहस्ताक्षरी पूर्वानुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

20. **बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण :-** सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, एवं अंचल अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बाढ़ पूर्व तैयारी से **संबंधित मानक संचालन प्रकिया के अनुसार संलग्न चेक लिस्ट एवं दिये जा रहे विहित प्रपत्र में सभी बिन्दुओं पर आवश्यक तैयारी ससमय पूर्ण कर दिनांक-08.05.2017 तक प्रतिवेदन जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। दिनांक-09.05.2017 के अपराहन् 03:00बजे से जिला पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता में सभी विभागीय पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक की जायेगी, जिसमें अद्यतन प्रतिवेदन के साथ भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।**

आशा की जाती है कि सभी पदाधिकारीगण/कर्मीगण द्वारा बाढ़ अवधि में अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहण किया जायेगा, जिससे राहत बचाव कार्य हेतु बनाई गयी कार्ययोजना को सफल ढ़ंग से कार्यान्वित किया जा सकें।

समाहर्त्ता
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 371 /आ0प्र0 दिनांक 28.04.2017

प्रतिलिपिः- **सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।** अनुरोध है कि संबंधित बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्रवाई करते हुए दिनांक-08.05.2017 तक वांछित कम्प्युटरीकृत प्रतिवेदन सी0डी0 सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त सारण प्रमंडल, छपरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता 28/4/17
सारण, छपरा।

RELIEF 27-04-2017